न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री रणछोड़ लाल, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं. 91/2024
अन्तर्गत धारा 88,188,207,40 RT Act

वादीगण – 1.देराजराम 2. भोमाराम पि. वीरमाराम 3. हिमथाराम पुत्र रामूराम 4. पनाराम 5. लाखाराम 6. लाला पि. केसरा 7. उदी पत्नी केसरा 8. करना 9. दुर्गा पि. केसरा 10. मगना पुत्र गुणेशा 11. विशना 12. मुला 13. गंगा 14. पुनमा पि. गोरधनराम 15. भूराराम पुत्र हडुमानराम 16. लेहरोदेवी पत्नी गोरधनराम 17. मेसाराम पुत्र भोमाराम 18. बाबूलाल पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी सेवाणियो का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.वनाराम 2. कानाराम पि. आसूराम 3. बाबूलाल 4. भोमाराम पि. हनुमानराम 5. पुरखाराम पुत्र उमाराम 6. गवरी पत्नी उमाराम 7. राजू 8. किस्तुरा 9. चुनाराम 10. लाभू 11. नेनू पि. गुणेशा 12. उमेदा 13. रूपा पि. भोमा 14. अमरूदेवी पत्नी भोमाराम 15. गंगा पुत्र रूघा 16. शोभा पुत्र रूगा जातियान जाट निवासी सेवाणियो का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 17. राज पेरोकार

उपस्थित :– वादी वकील – श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगण – एकतरफा
– राज पेरोकार उपस्थित

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 17.02.2026

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 16 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 16 पूर्व पुरूष स्व दिपाराम के वंशज होने एवं प्रतिवादी सं. 03 से 16 वादग्रस्त खसरे में हितबद्ध होने एवं इनमें व्यक्ति सम्पर्क नही होने के कारण बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया है। स्व. दिपाराम का वंशवृक्ष परिशिष्ट "अ" अनुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 19:07:46 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 16 की पैतृक सहखातेदारी की भूमि मौजा सेवाणियो का तला पटवार क्षेत्र ईशरोल तहसील चौहटन के खेत खसरा संख्या 479, 567/480 रकबा क्रमशः 11.1693, 0.0809, 21.8530 हैक्टेयर का आया हुआ है। जो भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 16 के दादा स्व. दिपाराम के पुत्रान जीया, उदा, दौला, खीमा, आसू पांचो भाईयो के नाम अलग–अलग खातेदारी में इन्द्राज हुई। स्व. दौला वल्द दीपा अविवाहित होने एवं लाऔलाद फौत होने के कारण स्व.

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

दौला का फौतगी नामन्तरकरण सं. 415 ग्रम ईशरोल खोला गया जिसमें स्व. दौला को लाऔलाद हुआ फौत का अंकन करते हुए इसके भाई के जाईन्दा वारिसो के नाम नामान्तरण भरा गया जिसमें वनाराम, चेतनराम, कानाराम पिता आसूराम के नाम नामान्तरण भरा एवं इन्ही तीनो के नाम राजस्व रेकर्ड में स्व. दौला का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया परन्तु स्व. दौला के आसूराम के अलावा तीन और भाई जीया, उदा व खीमा के होने के उपरान्त भी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियो ने आसू के वंशज से मिलिभगत कर स्व. दीपा की सम्पूर्ण सम्पती अपने नाम करवा ली परन्तु स्व. दीपा के पांच बैटे होने एवं स्व. दौला के लाऔलाद फौत होने के बाद स्व दौला के चारो भाईयो के बराबर–बराबर हिस्से में भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना था। वादी स्व दौला के सगे भाई के वंशज होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार स्व. दौला लाऔलाद फौत होने के कारण दौला के हिस्से की भूमि दौला के चारो सगे भाईयो के नाम बराबर–बराबर हिस्से में राजस्व रेकर्ड अमलदरामद करना था

वादी स्व दौला के सगे भाई के वंशज होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार स्व दौला के हिस्से की भूमि चारो सगे भाईयो के नाम बराबर–बराबर हिस्से में अमलदरामद करना था परन्तु स्व दौला के हिस्से की भूमि एक भाई आसू के वंशज के नाम अमलदरामद किया गया जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 से 16 तक सभी का अपनी वंशवली अनुसार हिस्सा बनता है तथा उसी अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी में हिस्से घोषित करवाने के अधिकारी है। नामान्तरण संख्या 81 ग्राम ईशरोल आसू के फौतगी नामान्तरण की परत पर दीपाराम की वंशावली खोली गई जिस पर तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर है तथा उसमें दीपाराम के पांच पुत्र होने का अंकन किया गया।

वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 16 तक की संयुक्त व शामलाती रूप से वंशावली हिस्से अनुसार अपने–अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है तथा वादी संख्या 1 व 2 का अपनी वंशावली अनुसार प्रत्येक का 1/34 वां हिस्से तथा शेष वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अपनी वंशावली अनुसार अपने–अपने हिस्से का वादग्रस्त भूमि पर लगातार निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। तथा मौके पर अपने–अपने हिस्से मे रहवासी ढाणियां आदि बने हुए है। वादीगण अपनी वंशावली अनुसार वादी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/34 हिस्सा घोषणा करवाने के अधिकारी है।

वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में नही होने से प्रतिवादी सं. 1 से 2 लगातार वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी व हस्तक्षेप कर रहे है। तथा भूमि अन्यत्र अजनबी व्यक्तियो को बेचान करने पर आमादा है इसलिये वादीगण को यह अधिकार है कि वो प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी, हस्तक्षेप या बाधा कारित नही करे तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जिस पर यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

वादग्रस्त मौजा सेवाणियो का तला पटवार हल्का ईशरोल तहसील चौहटन में खेत खसरा संख्या 456, 479, 567/480 रकबा क्रमशः 11.1693, 0.0809, 21.8530 हैक्टेयर भूमि में वादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/34 हिस्सा व अन्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अपनी वंशावली अनुसार हिस्सा घोषित किया जाकर वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ सह खातेदार घोषित करवाने हेतु निवेदन किया गया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजि.डाक से तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु मुकर्रर की गई। वादी साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 वादी सं. 1 देराजराम पुत्र वीरमाराम व पीडब्ल्यू–2 वादी सं. 8 करनाराम पुत्र सुरताराम का शपथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2024.03.24 19:07:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

पत्र पेश किया जिसके समर्थन में दस्तावेज न्यायालय में Exhibit करवाये। वादीगण और साक्ष्य पेश नही करने से वादीगण वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त **मौजा सेवाणियो का तला पटवार हल्का ईशरोल तहसील चौहटन में खेत खसरा संख्या 456, 479, 567/480 रकबा कमशः 11.1693, 0.0809, 21.8530 हैक्टेयर** भूमि में वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ हिस्सा बनता है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है। वादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/34 हिस्सा व अन्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अपनी वंशावली अनुसार हिस्सा घोषित किया जाकर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सह खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर मौजा सेवाणियो का तला पटवार हल्का ईशरोल तहसील चौहटन में खेत खसरा संख्या 456, 479, 567/480 रकबा कमशः 11.1693, 0.0809, 21.8530 हैक्टेयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण का वंशावली अनुसार हिस्सा वादी सं. 1 का 1/64, वादी सं. 2 का 1/16, वादी सं. 3 का 1/32, वादी सं. 4 से 7 का 1/12, वादी सं. 8 का 1/64, वादी सं. 9 का 1/16, वादी सं. 10 का 1/192, वादी सं. 11 से 14 का 1/480, वादी सं. 15 का 1/48, वादी सं. 16 का 1/480, वादी सं. 17 का 1/304 व वादी सं. 18 का 1/280 एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 5/16, प्रतिवादी सं. 3, 4 का 1/48, प्रतिवादी सं. 5 से 6 का 1/64, प्रतिवादी सं. 7 से 11 का 1/192, प्रतिवादी सं. 12 से 14 का 1/384, प्रतिवादी सं. 15 का 1/288, प्रतिवादी सं. 16 का 1/288 हिस्सा घोषित किया जाकर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सह खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार चौहटन को आदेशित किया जाता है, कि वें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करे।

(रणछोड़ लाल)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) चौहटन

सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।
पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

(रणछोड़ लाल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चौहटन

सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 19:07:46 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code, Appendix "d"1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), चौहटन

पीठासीन अधिकारी :–श्री रणछोड़ लाल (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं. 91/2024
अन्तर्गत धारा 88,188,207,40 RT Act

वादीगण – 1.देराजराम 2. भोमाराम पि. वीरमाराम 3. हिमथाराम पुत्र रामूराम 4. पनाराम 5. लाखाराम 6. लाला पि. केसरा 7. उदी पत्नी केसरा 8. करना 9. दुर्गा पि. केसरा 10. मगना पुत्र गुणेशा 11. विशना 12. मुला 13. गंगा 14. पुनमा पि. गोरधनराम 15. भूराराम पुत्र हडुमानराम 16. लेहरोदेवी पत्नी गोरधनराम 17. मेसाराम पुत्र भोमाराम 18. बाबूलाल पुत्र रूगाराम जाति जाट निवासी सेवाणियो का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.वनाराम 2. कानाराम पि. आसूराम 3. बाबूलाल 4. भोमाराम पि. हनुमानराम 5. पुरखाराम पुत्र उमाराम 6. गवरी पत्नी उमाराम 7. राजू 8. किस्तुरा 9. चुनाराम 10. लाभू 11. नेनू पि. गुणेशा 12. उमेदा 13. रूपा पि. भोमा 14. अमरूदेवी पत्नी भोमाराम 15. गंगा पुत्र रूघा 16. शोभा पुत्र रूगा जातियान जाट निवासी सेवाणियो का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 17. तहसीलदार चौहटन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री रामजीवन विश्नोई वादीगण वकील मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि वादीगण का वाद को स्वीकार किया जाकर **मौजा सेवाणियो का तला पटवार हल्का ईशरोल तहसील चौहटन में खेत खसरा संख्या 456, 479, 567/480 रकबा क्रमशः 11.1693, 0.0809, 21.8530 हैक्टेयर भूमि में वंशावली अनुसार हिस्सा वादी सं. 1 का 1/64, वादी सं. 2 का 1/16, वादी सं. 3 का 1/32, वादी सं. 4 से 7 का 1/12, वादी सं. 8 का 1/64, वादी सं. 9 का 1/16, वादी सं. 10 का 1/192, वादी सं. 11 से 14 का 1/480, वादी सं. 15 का 1/48, वादी सं. 16 का 1/480, वादी सं. 17 का 1/304 व वादी सं. 18 का 1/280 एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 5/16, प्रतिवादी सं. 3, 4 का 1/48, प्रतिवादी सं. 5 से 6 का 1/64, प्रतिवादी सं. 7 से 11 का 1/192, प्रतिवादी सं. 12 से 14 का 1/384, प्रतिवादी सं. 15 का 1/288, प्रतिवादी सं. 16 का 1/288 हिस्सा घोषित किया जाकर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सह खातेदार घोषित** किया जाता है। तहसीलदार चौहटन को आदेशित किया जाता है, कि वे तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद करना सुनिश्चित करें बीज मुबलिग बाबत् खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह [illegible] सालाना आज की तारिख मे तारीख वसूलयाबी तक अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज ता. [illegible]7.02.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.03.24 19:07:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन
सत्यमेव जयते

(रणछोड़ लाल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चौहटन

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन